



NEERAJ®

M.G.P.E.-7

गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन

(Non-Violent Movement after Gandhi)

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Dr. Narad Rai



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन (Non-Violent Movement After Gandhi)

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—June-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	गांधी के बाद का परिदृश्य	1
	(Post-Gandhian Scenario)	
2.	नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा	11
	(Leadership and Organisational Pattern)	
3.	गतिशीलता, कार्यनीतियां और परिणाम	18
	(Dynamics, Strategies and Outcomes)	
4.	सामाजिक और पारिस्थितिकीय मुद्दे	28
	(Social and Ecological Issues)	
5.	भूदान आन्दोलन	38
	(Bhoodan Movement)	

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
6.	सम्पूर्ण क्रान्ति (Total Revolution)	47
7.	मद्यनिषेध (नशाबन्दी) आन्दोलन (Alcohol Prohibition Movements)	55
8.	किसान आन्दोलन (Farmers' Movement)	64
9.	चिपको आन्दोलन (Chipko Movement)	75
10.	नर्मदा बचाओ आन्दोलन/टिहरी बाँध (Narmada Bachao Andolan/Tehri Dam)	83
11.	साइलेंट वैली (Silent Valley)	92
12.	जल संरक्षण आन्दोलन (Water Conservation Movement)	98
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आन्दोलन (Civil Rights Movements in the United States)	107
14.	यूरोप में ग्रीनपीस आन्दोलन (Greenpeace Movements in Europe)	116
15.	दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन (Anti-apartheid Movement in South Africa)	123
16.	पोलैंड में सॉलिडेरिटी आन्दोलन (Solidarity Movement in Poland)	134



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन
(Non-Violent Movements After Gandhi)

M.G.P.E.-7

समय : 2 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के समान अंक है।

भाग-I

प्रश्न 1. भारत में सामाजिक क्रांति की संभावनाओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-10, प्रश्न 5

प्रश्न 2. भारत में शांति आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-15, प्रश्न 2

प्रश्न 3. गाँजीजी के बाद के अहिंसक आंदोलनों के परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-27, प्रश्न 7

प्रश्न 4. उन विभिन्न पारिस्थितिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए, जो आज मानव जाति को प्रभावित कर रहे हैं।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-35, प्रश्न 2

प्रश्न 5. समकालीन भारत में मद्य नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की प्रमुख चिंताओं का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-62, प्रश्न 4, पृष्ठ-63, प्रश्न 5

भाग-II

प्रश्न 6. भारत में नए किसान आंदोलनों पर बहस का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-69, प्रश्न 3

प्रश्न 7. 'चिपको आंदोलन एक पारिस्थितिक नारीवादी आंदोलन है।' चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-81, प्रश्न 3

प्रश्न 8. टेहरी बचाओ आंदोलन और हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए इसके अहिंसक संघर्ष का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-10, पृष्ठ-89, प्रश्न 3

प्रश्न 9. नए सामाजिक आंदोलनों के उदाहरण के रूप में साइलेंट वैली आंदोलन पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-95, प्रश्न 2

प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
(क) केरल में प्लाचीमाडा आंदोलन

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-104, प्रश्न 3

(ख) ग्रीन पीस आंदोलन

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14, पृष्ठ-117, 'प्रारंभिक दिन और निरंतर प्रगति'



QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

गांधी पश्चात् अहिंसक आन्दोलन
(Non-Violent Movements After Gandhi)

M.G.P.E.-7

समय : 2 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 50

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. “शासन द्वारा संचालित योजनाबद्ध आर्थिक नीतियों से मुश्किलें बढ़ी हैं।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-1, पृष्ठ-7, ‘योजना का मूल्यांकन एवं उत्पन्न समस्याएँ’

प्रश्न 2. भारत में चलाए गए पाँच शांति आन्दोलनों का नाम बताइए एवं संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-38, ‘परिचय’, अध्याय-6, पृष्ठ-47, ‘संपूर्ण क्रांति की अवधारणा’, अध्याय-7, पृष्ठ-56, गाँधी और कुमारप्पा’, अध्याय-9, पृष्ठ-76, ‘चिपको आंदोलन’, अध्याय-10, पृष्ठ-85, ‘टिहरी बाँध’

प्रश्न 3. भारत में आज मौजूद तीन मुख्य सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। क्या इन समस्याओं के विरुद्ध कोई आन्दोलन जारी है, प्रकाश डालिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-4, पृष्ठ-28, ‘सामाजिक मुद्दे’

प्रश्न 4. संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है?

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-6, पृष्ठ-50, प्रश्न 1

प्रश्न 5. क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल हुआ है? मेधा पाटकर कौन हैं?

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-10, पृष्ठ-84, ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’

इसे भी देखें—मेधा पाटकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य हैं। वह सैकड़ों प्रगतिशील जन संगठनों के गठबंधन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम) की संस्थापकों में से एक हैं। इसके

अलावा मेधा पाटकर वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थीं, जिसने वैश्विक स्तर पर बड़े बाँधों के विकास और उनके विकल्पों के पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं और प्रभावों पर गहन शोध किया था। वह कई वर्षों तक नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स की राष्ट्रीय समन्वयक और फिर संयोजक रहीं और अब एनएपीएम की सलाहकार हैं। एनएपीएम के बैनर तले, उन्होंने विकास के नाम पर असमानता, गैर-स्थायित्व, विस्थापन और अन्याय के खिलाफ भारत भर में विभिन्न जन संघर्षों में भाग लिया और उनका समर्थन किया। वह अपने काम में जातिवाद, सांप्रदायिकता और सभी प्रकार के भेदभाव को चुनौती देती हैं। वह कई टीमों और पैनेलों का हिस्सा रही हैं, जो भूमि अधिग्रहण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, फेरीवालों, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों और वनवासी आदिवासियों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों और अधिनियमों को शुरू करने और तैयार करने पर काम करती हैं। एनएपीएम ने आदर्श सोसायटी, लवासा मेगासिटी, हीरानंदानी (पवई) और साथ ही अन्य बिल्डरों के खिलाफ कई जनहित याचिकाएँ दायर कीं।

वर्ष 2000 में, टाइम पत्रिका ने मेधा पाटकर को 20वीं शताब्दी के 100 नायकों में शामिल किया था। हालांकि, जाने-माने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन ने मेधा पाटकर की आलोचना करते हुए कहा कि वे नर्मदा परियोजना पर गलत थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेधा पाटकर और उनके “शहरी नक्सल” मित्रों ने नर्मदा परियोजना का विरोध किया और उसे विलंबित किया, जिससे गुजरात को बहुत लाभ हुआ था।” बाद के वर्षों में परियोजना के विस्तार ने बाँध से और भी लाभ पहुँचाए हैं। अब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को पूरे साल सिंचाई का पानी उपलब्ध है।

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

गांधी पश्चात अहिंसक आन्दोलन

(NON-VIOLENT MOVEMENT AFTER GANDHI)

गांधी के बाद का परिदृश्य (Post-Gandhian Scenario)



परिचय

महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। सम्पूर्ण देश पर उनकी अहिंसा की नीति की छाप थी। ऐसी स्थिति में उनके बाद के परिदृश्य का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी के बाद का भारत उनकी विचारधारा से थोड़ा अलग हटकर था। गांधी जी का भारत गाँवों का था, जिसमें लोगों की आवश्यकतायें कम थी, स्वावलम्बन था और समुदाय प्रजातंत्र पर आधारित थे। आजादी के पश्चात पं. जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 'योजना के साथ वायदा' की घोषणा की। ये योजनायें बहुउद्देशीय योजनायें थीं, जिनसे भारत के अनेक क्षेत्रों में विकास सम्भव था। इसके द्वारा भारत में औद्योगिक सभ्यता का विकास करना था। गांधीजी ऐसी सभ्यता के विरुद्ध थे, क्योंकि वे तो भारत के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाना चाहते थे। परन्तु ब्रिटिश शासन के चलते वे ऐसा करने में पूर्णतः सफल नहीं हुए।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास की जो रूप-रचना तैयार की थी, वह समस्याओं से परिपूर्ण थी और इनको शीघ्र-शीघ्र हल करना जरूरी था। ये समस्याएँ नृजातीय और सामाजिक विभाजन, अत्यधिक आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय मतभेद और असंतुलन, अनेक प्रकार की भाषाओं और बड़ी संख्या में देशी रियासतों का होना था। नेहरू जी इन सभी समस्याओं के विषय में गंभीरता से विचार किया। इन समस्याओं के कारण ही भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। लोगों में क्षेत्रवाद की भावना बढ़ गयी थी और लोग अपनी बस्ती और राज्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते थे। ऐसे में भारत में राजनैतिक एकता स्थापित करना और एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। इसके साथ-साथ राजनीतिक प्रयोजन की एकता और संगठित रहकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

भारत बुरी तरह सामाजिक विखण्डन और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था, इसलिए राजनैतिक प्रणाली इसके अनुकूल होनी आवश्यक थी। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारत का निम्न जीवन स्तर, उच्च मृत्युदर, अशिक्षा, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था व कृषि की कम उर्वरता थी, जिसके कारण भारत एक लम्बे समय तक गरीब देश बना रहा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था। इस

प्रकार भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना एक बड़ा काम था। ऐसा करके ही नेहरू जी के सपनों को साकार किया जा सकता था और देश को विकास के मार्ग पर गति दी जा सकती थी। इसलिए भारत को पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक-रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परित्याग करके राजनीति को एक नवीन रूप में प्रकट करना था।

सामाजिक जीवन और संबंधों के लिए देश का पुनर्निर्माण करना होगा, जिसके अन्तर्गत विगत वर्षों की सामाजिक-आर्थिक संस्थागत व्यवस्थाओं को आपस में फिर से जोड़ना होगा। इसके साथ-साथ वर्तमान संतुलन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये आधुनिकता को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए नई विचारधाराओं और कार्य-पद्धतियों को अपनाकर अर्थव्यवस्था में क्रान्ति लानी होगी। प्रस्तुत अध्याय में भारत की राजनीति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की गयी है। उनकी उपलब्धियों, कमियों, संवेदनशीलता और समस्याओं का भी परीक्षण किया गया है। इतिहास में कार्य करने वाली राजनीतिक इकाई के रूप में उसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

अध्याय का विहंगावलोकन

राजनीतिक संरचना और उसका कार्यकरण (Working)

राजनीतिक संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य संविधान का निर्माण करना था, जो तीन वर्ष के गहन और कठोर परिश्रम के साथ विचार-विमर्श, चर्चा और उसका मसौदा तैयार करने के बाद पूरा हुआ और इसका कार्यान्वयन 26 जनवरी, 1950 को किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम लोगों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गयी है। राजनीतिक न्याय में नीति-निर्देशक तत्त्व थे। सामाजिक क्रान्ति लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व निश्चित करके घोषित कर्तव्यों में शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका उल्लंघन करने से रोकना, दोनों नीतियों को लागू करना सरकार का कर्तव्य था। संविधान संशोधन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन थी। अंतिम अपील उच्चतम

न्यायालय में करने पर जोर दिया गया। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों में हस्तक्षेप करने के अनेक अधिकार दिये गये। नई संस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया। इसमें योजना आयोग और वित्त आयोग दो महत्त्वपूर्ण आयोग थे। सरकार को राष्ट्रीय सेवाओं, कर वसूली और देश में विधि का शासन कायम रखने और आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

सरकार ने संघीय संरचना को मजबूत बनाने के लिए 1935 का सुधार अधिनियम लागू किया, जिसमें सरकार के अधीन स्तरों में कोई फेर-बदल नहीं की और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को महत्त्व दिया गया। इस संघीय ढांचे में भारतीय संविधान की शक्ति एवं अधिकारों का वियोजन तीन स्तरों और तीन सूचियों में किया गया है

1. *केन्द्रीय सूची* इसके अंतर्गत संघ सरकार के कार्य आते हैं।
2. *राज्य सूची* इसमें राज्य सरकार के अधिकार आते हैं।
3. *समवर्ती सूची* इसमें केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। उच्च सदन को राज्यसभा एवं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह उच्चतम विधायी संस्था है और इसके सदस्य सार्वजनिक राय और लोगों इच्छा व्यक्त करते हैं। इसके सदस्य या सांसद प्रत्येक पाँच वर्ष में चुने जाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में इनका चुनाव पहले भी हो सकता है। लोकसभा कानून बनाने वाली भारत की सबसे उच्च संस्था है और वित्त विधेयक के अलावा यह राज्यसभा के समान स्थिति रखती है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किये जाते हैं। चूँकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, इसलिए सत्तारूढ़ दल के कार्यो पर मतदान द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है।

भारतीय संविधान में कानून के शासन की व्यवस्था है। यह कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है, जिनका अनुसरण राजनीतिक समुदाय के लोग करते हैं। इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के तरीके का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसकी संरचना इस प्रकार तैयार की गई है, जो राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों पर शर्त लगाती है।

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक हितों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों को बदला जा सकता है। इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं

1. जो प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुए हैं या जिनके हितों की वृद्धि अवरुद्ध हो गयी हैं।
2. जो परिवर्तन के लिए विरोध करते हैं और संबंधित व्यवस्था बदलने के संघर्ष की राजनीति का मार्ग अपनाते हैं।
3. राजनीति भी उस तरीके का निर्धारण करती है, जिसमें ये दबाव काम करते हैं।

भारत ने शासन व्यवस्था की पद्धति के रूप में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का चयन किया है। अर्थात् प्रभुतासम्पन्न जनता द्वारा इसके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या सांसद का चुनाव होता है। वह सांसद बहुमत द्वारा चुना जाता है। राजनीतिक प्रणाली के संचालन के लिए दो या अधिक राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। ये राजनीतिक दल समाज से शक्ति प्राप्त करते हैं और नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। प्रारम्भ में भारत का शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया, जो उस समय प्रमुख राजनीतिक दल था। परन्तु बाद में इसका महत्त्व कम हो गया और अनेक शक्तिशाली दल उभरे और इस प्रकार बहुदलीय प्रणाली प्रचलित हो गई।

1975 तक कांग्रेस का सत्ता पर अधिकार बना रहा। वह संसद और राज्य विधानमंडलों में बहुमत की सरकार-बनाती रही, परन्तु बाद में जे.पी. आन्दोलन और 1974 में अखिल भारतीय रेलवे वर्कर्स यूनियन की हड़ताल से इसे धक्का लगा। 1977 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गाँधी पर निर्वाचन संबंधी अनाचर का आरोप लगाया गया और उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप देश में उनके विरुद्ध आन्दोलन होने लगे। 1975 में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आंतरिक आपात स्थिति लागू करके सभी विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया और प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। इस सबके कारण कांग्रेस अपनी लोकप्रियता खो बैठी। आपात स्थिति के समाप्त होते ही 1977 में चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी सत्ता में आ गयी, परन्तु शीघ्र ही फूट के कारण अनेक दल फिर बन गये। 1980 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गयी। 1984 में श्रीमती गाँधी की हत्या कर दी गयी। उसके बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही, परन्तु इसमें लगातार गिरावट आने लगी। आगे चलकर यू.पी.ए. की सरकार बनी। राजनीति में प्रदेशीकरण के कारण गठबंधन की सरकारें सत्ता में आईं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) शक्तिशाली कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में उभरी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) का उदय हुआ। ये केन्द्र में गठबंधन सरकार के घटक दल बन गये।

इन निर्वाचन के परिवर्तनों से कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो समाधान के योग्य नहीं हैं। हित प्रेरित समाज में सामाजिक-आर्थिक समूह अपने हितों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं। वे सामूहिक निर्णय को शक्तितंत्र के सहयोग से प्रभावित और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसके कारण समूहों में प्रतिस्पर्धा भी होती है। परन्तु इससे समाज में फूट पड़ जाती है। असमान सामाजिक-आर्थिक हित के कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से होते हैं या वे स्वयं अपना राजनीतिक दल बना लेते हैं।

सामाजिक निर्माण में आर्थिक समृद्धि महत्त्वपूर्ण होती है, जिसे सफल जीवन निर्वाह के लिए महत्त्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसके

द्वारा जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली में क्रान्ति लाना और सभी को वस्तुएँ एवं सेवायें उपलब्ध करवाना जरूरी है। यह गरीबों और आवश्यकता वाले लोगों तक अवश्य पहुँचना चाहिए।

यदि ऐसा नहीं होता है, तो लोगों में क्षेत्रीय वर्गगत भावना उत्पन्न होती है, जिससे क्षेत्रीय और राज्य आधारित दलों का निर्माण होता है। ये आगे चलकर शक्ति प्राप्त करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए विवश करते हैं।

आर्थिक परिवर्तन

आज स्थिर और सतत आधुनिकीकरण के लिए लोकतंत्र और आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। परन्तु आजादी के समय भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का खूब शोषण किया और वे बहुत सारा धन इंग्लैंड ले गये। यद्यपि ब्रिटिश शासकों ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया तो शुरू की, परन्तु उनका प्रयास पूर्ण नहीं हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वयं गतिशीलता आ सके। आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दो रणनीतियाँ गाँधीवादी और नेहरूवादी सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी।

1. **विकास का गाँधीवादी मॉडल** इस मॉडल को प्रेरणा श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा दी गयी, जो गाँधीजी के विचारों से प्रेरित थे। गाँधीजी ने मानव और विश्व के प्रति विचारधारा से प्रेरित होकर देशी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और जैविक संवृद्धि के संवर्धन की जरूरत पर जोर दिया था। गाँधीजी की विचारधारा से प्रेरित होकर इस योजना में अत्यधिक लोगों पर अनुशासन से दूर रहने के लिए कहा गया। इसके साथ राजनीतिक जीवन और उसके संबंधों में लोकतांत्रिक होने को कहा गया। उनके अनुसार इसमें राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए। श्री अग्रवाल ने सादा जीवन, विकेन्द्रीकरण और कुटीर उद्योगों की अर्थव्यवस्था पर बल दिया। वे गाँधी जी के इस कथन कि ग्राम को आर्थिक गतिविधियों की इकाई होना चाहिए, को स्वीकार करते हैं। वे आवश्यकताओं से न्यूनीकरण और पूर्ण विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हैं, क्योंकि गाँधी जी भी इससे सहमत थे। वस्तुतः इससे सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में औद्योगिकीकरण और राज्य की भूमिका की संभावना नहीं होती। पश्चिम के उपभोक्तावाद के भी गाँधीजी विरोधी थे और वे सहकारिता को महत्त्व देते थे।

2. **नेहरूवादी मॉडल** इस मॉडल को नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया था, जो गाँधीवादी मॉडल से भिन्न था। इसमें सामाजिक विकास के लिए राज्य को महत्त्व दिया गया। इसमें जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने व भौतिक वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया, परन्तु इसमें कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर बल नहीं दिया गया। इसमें केन्द्रीय रूप से नियोजित आर्थिक विकास का चयन किया गया, जिसमें पूँजीगत उत्पादनकारी उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। यह भी

माना गया कि विकास पहले जरूरी है और वितरण बाद में। नेहरू जी ने योजना निर्माण की अध्यक्षता स्वयं की और कहा कि बिना औद्योगिकीकरण के गरीबी, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो सकती। उनका भारतीय विकास और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के आधारिक विकास और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की तीन आधारिक आवश्यकताओं में विश्वास था

(i) भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योग;

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, और

(iii) विद्युत ऊर्जा।

इस योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वायत्त पूँजीवाद के आधार का निर्माण राज्य के द्वारा नियंत्रित किया गया। वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था (इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ-साथ काम करते हैं) को अपनाया गया।

नेहरू काल के बाद के आर्थिक परिवर्तन इस अवधि में भारत में राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, योजना विकास में उतार-चढ़ाव बढ़ गया और आर्थिक स्तर बहुत कम हो गया। यह निश्चित रूप से निजीकरण का संकेत था। 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1965 का भारत-पाक युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप के कारण आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गयी। प्रशासनिक कमजोरी और भ्रष्टाचार ने इसको और भी बढ़ावा दिया।

प्रशिक्षित और कुशल जनशक्तियुक्त आधार का निर्माण भारी उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधान के निर्माण पर बल देने के फलस्वरूप हुआ। इस प्रकार नियोजित आर्थिक विकास के नेहरू-महलनोबिस मॉडल ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इसमें निम्नलिखित शामिल थे

1. राजनीतिक लोकतंत्र की प्रणाली,
2. अर्थव्यवस्था की सरकारी योजना, विनियम और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण,
3. सार्वजनिक क्षेत्र और
4. निजी क्षेत्र को कर से राहत और प्रक्रिया सहायता प्रणाली।

उद्देश्य (i) सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण को रोकना तथा

(ii) आर्थिक कार्यों में निजी लाभ की असमानता का निरंतर उन्मूलन करना।

यह सब-कुछ समाजवाद पर आधारित था। इसमें लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्रीमती गाँधी की लोक-तुभावनी नीतियों एवं 'गरीबी हटाओ' के नारे से 1971 में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गयी।

आर्थिक विकास योजना के माध्यम से शुरू किया गया, परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गयीं। भुगतान संतुलन घाटे में चलता रहा, खाद्यान्नों की कमी होने लगी और कृषि उत्पादन में तेजी आने लगी। राजनीतिक उथल-पुथल से अशान्ति फैल गयी थी। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा।

ऋण के लिए विश्व बैंक की कठोर शर्तों को मानना पड़ा भारत को विवशता के चलते वाशिंगटन समझौता करना पड़ा, जिसमें नीतियों का पैकेज था, जिससे संवृद्धि की आशा व्यक्त की गयी।

कृषि में किसानों की कठिनाइयां बढ़ गयीं। उन्हें सिंचाई एवं ऋण प्राप्त करने की सुविधाओं का अभाव हो गया। महंगे कृषि निवेश, उर्वरक और संकर बीजों के प्रयोग से गेहूँ के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। परन्तु इस कार्य से केवल बड़े किसानों को लाभ हुआ। कृषि और उद्योग के मध्य संबंध बढ़ने लगे और बाजार के उतार-चढ़ाव की ओर ध्यान दिया गया। फिर वित्तीय संकट बढ़ता गया और रुपये का अवमूल्यन हुआ। आर्थिक संकट के रूप में मंदी, मुद्रास्फीति और निर्यात में पतन हुआ।

आर्थिक गिरावट के साथ राजनीतिक संस्थायें भी कमजोर हो गयीं। फलस्वरूप 1975 में आपात-स्थिति की घोषणा की गई। ऐसी स्थिति में समाजवाद के प्रति वचनबद्धता भी समाप्त हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था पूँजीवाद की ओर बढ़ने लगी। न्यायपूर्ण वितरण भी खत्म हो गया और बदले में राज्य-नियंत्रित औद्योगिक आधारभूत संरचना बनी, जिससे शासन में नौकरशाही की भ्रष्टता का बोलबाला हो गया।

योजना का तीसरा चरण 1984 में शुरू हुआ, जो आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण की ओर बढ़ने लगा। 1991 में पी.वी. नरसिम्हाराव के नेतृत्व में इसका विस्तार किया गया, जो अब भी चल रहा है। इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उच्चतर वृद्धि का निर्णय किया गया। इसमें निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया।

1980 के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। इसमें आर्थिक सुधार लाइसेंस राज की समाप्ति से शुरू किया गया। वस्तुतः इसके कारण रिश्वतखोरी बढ़ गयी और सरकारी अधिकारी मालामाल हो रहे थे और उनकी कार्यक्षमता कम होती जा रही थी। संचार और सॉफ्टवेयर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। उदारीकरण का उद्देश्य भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना था। इसमें बाजारतंत्र को मजबूत किया गया और निवेश पर जोर दिया गया। भारतीय बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए खुलेपन की नीति अपनाई गयी। निम्नलिखित तीन कार्यों से इसकी शुरुआत की गयी

- (i) नियंत्रण में ढील दी गयी या इसे समाप्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई गयी।
- (ii) वित्तीय नीति में संशोधन करके इसे व्यापार के अनुकूल बनाया गया।
- (iii) उच्च प्रौद्योगिकी से उद्योगों के आधुनिकीकरण का निर्णय किया गया।

उदारीकरण की नीति उत्साह के साथ शुरू की गयी, परन्तु 1991 में पर्याप्त भुगतान संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में सरकार को घरेलू निवेश और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार लाने की आवश्यकता अनुभव हुई। फलस्वरूप सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में मात्रात्मक नियन्त्रण को समाप्त कर दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(FDI) बढ़ाने के प्रयास को भी बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। आलोचक विद्वानों के अनुसार उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ गयी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और नौकरियों में छंटनी की गयी। वित्तीय घाटे में वृद्धि के साथ-साथ कृषि की उपेक्षा हुई। अभिजात वर्गों की आय तो बढ़ गयी, परन्तु विशाल जन-समुदाय के जीवन-स्तर में गिरावट आ गयी।

उदारीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक दर में उच्चतर वृद्धि हुई, परन्तु इसके कारण उनके समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, खाद्यान्नों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी आयी है, उद्योगों की क्षमता और उपयोगिता में गिरावट और बेरोजगारी के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि और औद्योगिक वृद्धि रुक गयी है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आयी है।

हरित क्रान्ति से अवश्य ही कुछ लाभ हुआ है। इससे भारत खाद्यान्नों की दृष्टि से तो आत्मनिर्भर हो गया, परन्तु इससे उत्पादन लागत बढ़ गयी, जिसका प्रभाव छोटे और सीमान्त किसानों पर पड़ा है। बड़े किसानों को हरित क्रान्ति से लाभ हुआ है। ग्रामीण और शहरी वर्गों के मध्य अन्तर बढ़ा है। सुधारों की असफलता से गरीबी बढ़ी है। इससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन, उत्पादकता में धीमी वृद्धि, ग्रामीणों का शहरों में पलायन, पोषाहार में गिरावट और शिशु मृत्यु दर में प्रोत्साहन आदि। भारतीय कृषि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मध्यवर्ती किसान राजनीति में घुस गये हैं। भूमिहीन कृषकों और सीमांत कृषकों की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधार नहीं किया जा सका।

लोकतंत्र और सामाजिक क्रान्ति

भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आरम्भ हुआ। सामाजिक क्रान्ति अर्थात् समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए पिछले छः दशकों में संविधान में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के उपबन्धों को ओर ध्यान दिया गया है। इन उपबन्धों में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकार, दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के कल्याण व संरक्षण का उल्लेख है।

मूल अधिकारों का संबंध स्वयं के विकास से है। इसमें व्यक्ति के स्थान को समाज और उसकी परम्पराओं और अन्य सार्वजनिक संघों के अत्याचारों से बचाना है। सामूहिक अधिकारों का प्रावधान जातिभेद तथा असमानता उन्मूलन के कारण किया गया है। कुछ राजनीतिक-आर्थिक समूह जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से संबंधित मांगों को उठाया जाता है। वस्तुतः उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में संविधान विशेषकर उसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं।